

फर्द अहकाम

फैजदेवी बनाम चाशीराम

न्यायालय 5.7.05 मं,
संख्या JPR.

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
28/5/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वहुलाप करीबेन उपर दून बाद में राजीनामा पेश किये जाने पर बाद का निस्तंरण किया जाता है। दोबे का कर्मचार निर्दिष्टता ज-पत्र पर्ट होने पर फेशन-शुभार न सिकत हो। निर्णय मेरे रूपान्त सुनलागला।</p> <p>उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम) जयपुर</p>	

